

न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

प्रा०पत्र सं. 33 / 2018

दर्ज दिनांक:—11.06.2018

1. गुलराज सिंह
 2. लाखन सिंह
- पुत्रान श्री रामसिंह जाति गुर्जर निवासी बिलौठी तह.
व जिला भरतपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. गोरधनसिंह
 2. धर्मवीरसिंह
 3. भगवान सिंह
 4. मीना
 5. रघुवीर सिंह
 6. राजनदेई
 7. राजवीर सिंह
 8. वीरादेवी
 9. सुफेदा
 10. सौनदेई पत्नी रामसिंह
 11. राज० सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।
- पिसरान श्री रामसिंह जाति गुर्जर निवासी बिलौठी तह.
व जिला भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक:—28.11.2019

सत्यमेव जयते

पत्रावली पेश हुई। चूँकि मूल दावा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। अतः यह प्रा०पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. भी तदनुसार खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश दि० 11.06.2018 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दा०द० हो।

(SANJAY GOYAL)

सहायक कलक्टर, भरतपुर